# न्यायालय जिला कलक्टर , फलौदी

पीठासीन अधिकारी:– श्वेता चौहान (आई.ए.एस.)

**राजस्व अपील सं. :– 19 / 2024**

| अपीलांट | बनाम | रेस्पोडेन्टस |
|---|---|---|
| मृतक केशुराम पुत्र स्वर्गीय श्री चुन्नीलाल के कायम मुकाम<br>1. कानाराम पुत्र स्व. श्री केशुराम जी<br>2. राजुराम पुत्र स्व. श्री केशुराम जी<br>3. जगदीश कुमार पुत्र श्री केशुराम जी<br>4. प्रकाश पुत्र स्व. श्री केशुराम, जातियान माली हाल निवासीगण– गली नंबर 01, अशोक कॉलोनी, महादेव मन्दिर के पास, के.यू.एम. मण्डोर रोड़, जोधपुर<br>5. राधा पुत्री स्व. श्री केशुराम जी पत्नि भैराराम जी जाति माली निवासी ग्राम देचू तहसील शेरगढ (हाल देचू), जिला जोधपुर(हाल जिला फलौदी)<br>6. सीमा पुत्री स्व. श्री केशुराम जी पत्नि दिलीप कुमार जी जाति माली निवासी वार्ड संख्या 17 जटा बास पोकरण तहसील पोकरण जिला जैसलमेर | | 1. सोहनलाल पुत्र श्री पूनाराम माली निवासी ग्राम भोजाकोर तहसील फलौदी<br>2. सत्यनारायण पुत्र श्री पूनाराम माली निवासी ग्राम भोजाकोर तहसील फलौदी।<br>3. स्वरूपा राम पुत्र श्री पूनाराम माली निवासी के.के. कॉलोनी 1st सरदार पटेल स्कूल के पीछे बासनी जोधपुर।<br>4. रेवन्तराम पुत्र श्री पूनाराम माली निवासी ग्राम भोजाकोर तहसील फलौदी।<br>5. अचलाराम पुत्र श्री पूनाराम माली निवासी ग्राम भोजाकोर तहसील फलौदी।<br>6. बागाराम पुत्र श्री पूनाराम माली निवासी ग्राम भोजाकोर तहसील फलौदी।<br>7. नत्थु देवी पत्नि श्री पूनाराम माली निवासी ग्राम भोजाकोर तहसील फलौदी।<br>8. कमला पत्नि श्री छोटाराम माली पुत्री पूनाराम माली गांव सुखजी की ढाणी पुरोहितसर वाया लवा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर<br>9. सन्तू पत्नि भंवर लाल माली पुत्री पूनाराम माली गांव सुख की ढाणी देचू तहसील देचू जिला जोधपुर<br>10. कन्तू पत्नि पेपाराम पुत्री पुनाराम माली गांव गहलोतो की ढाणी देचू, तहसील शेरगढ (हाल देचू), जिला जोधपुर(हाल जिला फलौदी) |

जिला कलक्टर
फलौदी

11. हूकमा राम पुत्र श्री हेमाराम माली निवासी भोजाकोर तहसील फलौदी।
12. जेठाराम पुत्र श्री हेमाराम, जाति माली, निवासी भोजाकोर तहसील फलौदी
13. प्रेमप्रकाश पुत्र श्री हेमाराम जाति माली, निवासी भोजाकोर तहसील फलौदी
14. खेताराम पुत्र श्री हेमाराम जाति माली, निवासी भोजाकोर तहसील फलौदी
15. दुर्गा पत्नि हेमाराम जाति माली, निवासी भोजाकोर तहसील फलौदी
16. चन्द्रा पत्नि हीरालाल पुत्र हेमाराम माली निवासी सुख की ढाणी पुरोहितसर वाया लवा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
17. चम्पा पत्नि सुगनाराम पुत्री हेमाराम जाति माली निवासी गांव हनुमान सागर वाया देचू तहसील शेरगढ (हाल देचू), जिला जोधपुर(हाल जिला फलौदी
18. बरजू पत्नि धर्माराम पुत्री हेमाराम जाति माली निवासी ग्राम सुख की ढाणी, पुरोहितसर लवा तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर।
19. मेघराज उर्फ मगराज पुत्र सेठिया जाति माली, निवासी मालियों का बास, पीपल के पास फलौदी।
20. मोहिनी पुत्री सेठिया जाति माली, निवासी मालियों का बास, पीपल के पास फलौदी, जिला फलौदी।
21. मुरली पुत्र मोहन पुत्र सेठिया, जाति माली, निवासी मालियों

जिला कलक्टर
फलौदी

का वास, पीपल के पास फलौदी।

22. भगु पुत्र मोहन पुत्र सेठिया जाति माली, निवासी मालियों का वास, पीपल के पास फलौदी
23. भाऊ पुत्र मोहन पुत्र सेठिया जाति माली, निवासी मालियों का वास, पीपल के पास फलौदी।
24. मून्ना पुत्र मोहन पुत्र सेठिया जाति माली निवासी मालियों का वास, पीपल के पास फलौदी जिला जोधपुर।
25. मृतक लूणा पुत्र श्री सुजाराम के कायम मुकाम
    25/1 बुधाराम पुत्र स्व. श्री लूणाराम
    25/2 किशोर पुत्र स्व. पूसाराम
    25/3 जीतु पुत्र स्व. पुसाराम
    25/4 जसोदा पुत्री स्व. लूणाराम
    जातियान माली, निवासीगण ग्राम भोजाकोर तहसील फलौदी, जिला जोधपुर हाल फलौदी
26. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय फलौदी।

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम विरूद्व फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 461 आदेश दिनांक 05.11.2008 न्यायालय तहसीलदार फलौदी, जिला जोधपुर हाल फलौदी द्वारा पारित किया गया।**

**उपस्थित वकील –:**

अपीलाण्ट् की ओर से– अधिवक्ता श्री नरेश्वर सिंह उपस्थित।
रेस्पोडेण्ट्स सं. 1 ता 18 की ओर से:– अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार विश्नोई उपस्थित।
रेस्पोडेण्ट्स संख्या 19 ता 25/4 की ओर से:– बावजूद सूचना अनुपस्थित।
रेस्पोडेण्टस संख्या 26 की ओर से :– तहसीलदार स्वयं उपस्थित।

जिला कलक्टर
फलौदी

## निर्णय

दिनांकः– 30/12/2025

1. यह अपील राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 75 में फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 461 आदेश दिनांक 05.11.2008 न्यायालय तहसीलदार फलौदी द्वारा पारित किया गया के विरूद्व अपीलांट द्वारा मय धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र एवं स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की है।

2. अपीलांटगण की अपील का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि अपीलांटस व रेस्पोडेण्टस संख्या 01 ता 18 दादा, ससुर व दादी ससूर श्री चुन्नाराम पुत्र श्री भूराराम व रेस्पोडेण्टस संख्या 19 से 25 के पिता सेठिया, हरिया पुत्र मुकना व लूणा पुत्र सुजा के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमित खेत खसरा नंबर 84 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा व खसरा संख्या 87 रकबा 48 बीघा 01 बिस्वा व खसरा संख्या 140 रकबा 4 बीघा 06 बिस्वा कुल खसरे तीन व कुल रकबा 64 बीघा 18 बिस्वा भूमि जो वाके ग्राम फलौदी तहसील फलौदी जिला जोधपुर में आई हुई है। वर्तमान में उक्त खसरान भूमि में 1/2 हिस्सा चुन्ना पुत्र भुरा एवं 1/2 हिस्सा रेस्पोडेण्टस संख्या 01 ता 19 का दर्ज है। चुन्ना के कुल तीन जायन्दा पुत्र हेमाराम, पुनाराम व केशुराम हुये, चुनाराम के फौत होने पर रेस्पाउेण्टस संख्या 26 ने चुनाराम के वारिसान की बिना जांच किये रेस्पोडेण्टस संख्या 01 दता 18 के पिता, पति व ससुर पुनाराम व हेमाराम के नाम से फौतदगी नामान्तरकरण संख्या 461 भर दिया गया तथा अपीलांट के पिता केशुराम का नाम फौतदगी नामान्तरकरण में छोड़ दिया गया। जबकि केशुराम, स्वर्गीय चुन्नाराम का जायन्दा पुत्र था, केशुराम, पुनाराम व हेमाराम तीनों भाईयों का स्वर्गवास हो चुका है। तहसीलदार फलौदी द्वारा भरा गया नामान्तरकरण संख्या 461 को निरस्त करवाने हेतु मय धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र अपील आपके क्षेत्राधिकार में होने के कारण न्यायालय में पेश की है।

3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री नरेश्वरसिंह के द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 18 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार विश्नोई ने वकालातनामा पेश किया। रेस्पोडेण्टस संख्या 19 ता 24 व 25 के वारिसानों के नोटिस अदम तामील प्राप्त हुए। अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन किया कि उक्त रेस्पोडेण्टस संख्या 19 ता 24 व 25 के वारिसानों के नोटिस समाचार पत्र दैनिक नवज्योति दिनांक 12.02.2024 में छांयाकित करवाया गया। रेस्पोडेण्टस संख्या 19 तर 24 व 25 के वारिसानों को उपस्थिति होने हेतु न्यायालय द्वारा अनेक अवसर दिए गए। तहसीलदार फलौदी से मूल नामान्तरकरण संख्या 461 तलब किया गया। तहसीलदार फलौदी से मूल नामान्तरकरण संख्या 461 दिनांक 10.01.2023 को जरिये पत्र प्राप्त हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेण्टस संख्या 01 ता 18 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 9 प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 1 नियम 10 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 10 सपठित धारा 151 सीपीसी की पेश की। अपीलांटस के अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना का जबाब पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट अभिभाषक एवं रेस्पोडेण्टस संख्या01 ता 18 के अभिभाषक की प्रार्थना पत्र की

जिला
फलौदी

बहस सुनी गई। बाद प्रार्थना पत्र बहस एवं प्रस्तुत अपीलांट जबाब, रेस्पोडेण्टस संख्या 01 ता 18 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 9, आदेश 1 नियम 10 व आदेश 10 सपठित धारा 151 सीपीसी को खारिज किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया।

4. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय न्याय के सुस्थापित सिद्वान्तों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांटस के दादा के स्वर्गवास के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने फौतेदगी नामान्तरकरण भरने हेतु श्री चुन्नाराम के वारिसानों को बिना नोटिस दिए एवं वारिसानों की जांच किए बगैर , मात्र कार्यालय में बैठकर खानापूर्ति करते हुए नामान्तरकरण भरा गया है। अपीलांट के पिता केशुराम का भी चुन्नाराम की जायन्दा खाता संख्या 356 के खसरा संख्या 84 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा खसरा संख्या 87 रकबा 48 बीघा 1 बिस्वा एवं खसरा संख्या 140 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि में 1/3 हिस्से का हकदार था। उक्त भूमि पर केशुराम जी फौत होने पर अपीलांटगण मौके पर काबिज काश्त है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वारिसान जांच पड़ताल नही किये जाने के कारण अपीलांट के पिता का नाम सहखातेदारी में दर्ज न किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चुन्नाराम जी के वारिसान की रिपोर्ट तक नही बनाई गई हैं मात्र और मात्र कार्यालय में बैठकर अपीलांट के पिता को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपनी मर्जी से अपीलाधीन नामान्तरकरण खोला है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 461 दिनांक 05.11.2008 विधि एवं कानूनी रूप से परे होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

5. पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव तहसीलदार फलौदी द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर विचार मनन किया गया। प्रकरण में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम पर लिखित बहस प्रस्तुत की गई। अभिभाषक अपीलांट की लिखित बहस अनुसार अपीलांट की पुश्तैनी जायदाद का तकनीकी बिन्दु के आधार पर फौतदगी म्यूटेशन संख्या 461 दिनांक 05.11.2008 न्यायालय तहसीलदार फलौदी द्वारा पारित आदेश के आधार पर न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अपीलांट के दादा चुना पुत्र भूरा के तीन पुत्र हेमाराम, पूनाराम, केशुराम थे। जिसमें अपीलांट के पिताजी के दोनों बड़े भाईयों के दादाजी के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 461 दर्ज किया गया है। जबकि अपीलांट के पिता केशुराम पुत्र चुना का नामान्तरकरण दर्ज होने से रह गया। जो दस्तावेज मुकदमा बाबत पेश किये उनमें अपीलांट की जानकारी के अभाव में अपीलांट का नामान्तरकरण दर्ज होने से रह गया । इसलिए अपील में लिमिटेशन एक्ट में अपीलांट को छूट प्रदान की जावे। मियाद के तकनीकी बिन्दु पर गौर नहीं करते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार निर्णय पारित किया जावे। पर का अभिकथन है। अपीलांट अभिभाषक ने लिखित बहस के साथ 1982 RRT 332, 2009(2) RRT 1102(एच.सी.), RRD 1998 पेज 319, 1999 आर आर डी 173, 12998 आर आर डी 465, 2015(2) सीसीसी 248(एच.सी.), 2013 (1) आर एल डब्ल्यु 268 (एच.सी.), के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2009(2) RRT 1102(एच.सी. मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय

जिला कलक्टर
फलौदी

ने मृतक के वारिस द्वारा फौत होने के 24 वर्ष बाद अपील पेश की गई। उक्त आदेश मे अपील को अन्दर मियाद माना तथा यह निर्धारित किया कि विधिक वारिसान के नाम नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए।

6. अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम की लिखित बहस एवं न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। इस सम्बन्ध में न्यायालय का अभिमत है कि अपील का निस्तारित करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का निस्तारण करना आवश्यक है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बहस एवं न्यायिक दृष्टान्त के अवलोकन एवं मनन बाद प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार निर्णय पारित किया जाना उचित है। न्यायालय अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में देरी को माफ करना उचित एवं न्यायसंगत है। अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव तहसीलदार फलोदी द्वारा प्रस्तुत मूल नामान्तरकरण अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर विचार मनन किया गया। उपरोक्त समस्त विवेचन एवं अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्वान्त के आधार पर तहसीलदार फलौदी को पत्रावली प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि सभी को सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार निस्तारण करें।

8. निर्णय आज दिनांक 30/12/2025 सरेइजलास सुनाया गया।

श्वेता चौहान
(भा.प्र.से.)
जिला कलक्टर, फलौदी